न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते
Website Copy Not Official

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 93/2019 दायर तारीख :– 07-10-2019

1. प्रभूदयाल पुत्र पूराराम जाति गुर्जर निवासी कल्याणपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। <u>–– प्रार्थी</u>

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0। <u>–– अप्रार्थी</u>

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी</u>

उपस्थित : श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

<u>*निर्णय दिनांक : 11.03.2020*</u>

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नम्बर 272 रकबा 0.30 एवं 277 रकबा 0.16 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भूअ. /2019/962 दिनांक 20.05.2019 की पालना में दिनांक 24.07.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नम्बर 272 रकबा 0.30 एवं 277 रकबा 0.16 हैक्टेयर हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तल्वी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 24.07.2019, नक्शा ट्रेस वाके ग्राम कल्याणपुरा खसरा नंबर 272 व 277, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा खाता संख्या 90 संवत् 2076–2079 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नम्बर 272 रकबा 0.30 एवं 277 रकबा 0.16 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2019/962 दिनांक 20.05.2019 की पालना में दिनांक 24.07.2019 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नम्बर 272 रकबा 0.30 एवं 277 रकबा 0.16 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर